

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प.सं. : 55 / 2020

जीसीएमएस : 2020 / 00127

1. विमला देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. नौरा देवी पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

—वादीगण

बनाम


1. नेकीराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. रामप्यारी पुत्री नारायणराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. मीरा देवी पुत्री नारायणराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. कैलाशदेवी पुत्री नारायणराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
6. इन्द्रादेवी पुत्री नारायणराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
7. अमरसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
8. मायादेवी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
9. विद्यादेवी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
10. राजेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
11. जयपाल पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
12. सुमन पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
13. महेन्द्र कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
14. विजयलक्ष्मी पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व विजयनगर
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

—प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,92ए,53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

1. श्री अशोक धायल, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मोहनलाल बाना, अधिवक्ता प्रतिवादीगण


उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

:- निर्णय :-

दिनांक : 04/10/2022

रांशेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 45 एन पी तहसील रायसिंहनगर का प.नं. 215/331 मु.नं. 7 में 3.036 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 6 प.नं. 216/331 में 0.557 है. नहरी कुल 3.719 है. नहरी मय खाला भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 14 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर खातेदारी दर्ज हैं। चक 60 एन पी तहसील रायसिंहनगर मु.नं. 12 प.नं. 222/351 में 1.581 है. नहरी व मु.नं. 7 प.नं. 226/350 में 1.177 है. वारानी व मु.नं. 19 प.नं. 226/355 में 0.734 है. नहरी मय खाला भूमि व मु.नं. 26 प.नं. 227/357 में 1.391 है. कुल 4.908 है. नहरी वारानी मय खाला भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम से हैं। चक 60 एनपी तहसील रायसिंहनगर मु.नं.19 प.नं. 226/355 में 1.960 है. नहरी भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से हैं। चक श्यामगढ़ वारानी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 101 प.नं. 237/348 में 4.619 है. वारानी व मु.नं. 102 प.नं. 237/349 में 1.455 है. वारानी कुल 6.074 है. वारानी भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 14 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज हैं।

चक 3 पीटीडी तहसील श्री विजयनगर मु.नं. 21 प.नं. 234/369 में 6.200 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 17 प.नं. 235/368 में 5.883 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 20 प.नं. 235/369 में 1.493 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 18 प.नं. 236/368 में 6.010 है. नहरी व मु.नं. 19 प.नं. 236/369 में 6.072 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 29 प.नं. 235/370 में 1.493 है. नहरी भूमि संयुक्त खाता की हैं जिसमें वादीगण के पति ओमप्रकाश व दयाराम की बहिस्सा बराबर बराबर 3.846 है. भूमि हैं। चक 4 पीटीडी ए तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 17 प.नं. 225/364 में 4.554 है. नहरी भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से हैं। चक 4 पीटीडी ए तहसील श्रीविजयनगर का मु.नं. 17 प.नं. 225/364 में 1.646 है. नहरी भूमि वादीया सं. 1 के पति ओमप्रकाश के नाम से हैं।

चक 21 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 4 प.नं. 307/376 में 2.480 है.नहरी भूमि वादीया सं. 1 व प्रतिवादी सं. 7 ता 10 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड हैं। चक 19 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ मु.नं. 20 प.नं. 293/379 में 4.314 है. नहरी वारानी भूमि वादीया सं. 2 व प्रतिवादी सं. 11 ता 14 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड हैं।

इसी तरह चक 6 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 11 प.नं. 232/359 में 1.518 है. नहरी व मु.नं. 10 प.नं. 233/359 में 6.200 है. नहरी व मु.नं. 9 प.नं. 234/359 में 3.264 है. कुल 10.982 है. कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि संयुक्त खाता की हैं जिसमें प्रतिवादी सं. 2 गोपीराम के नाम से 343/5491 हिस्सा हैं।

उक्त तीनों तहसीलों की उक्त विवादित भूमि हिन्दू खानदान की अविभाजित कोपासरी सम्पति हैं। कुछ सम्पति वादीगण के ससुर नारायणराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों के नाम से खरीद करके दी है, लेकिन उक्त भूमि का वादीगण के पति ओमप्रकाश, दयाराम व प्रतिवादी सं. 1,2 द्वारा अपनी हकीकी बहनों व वादीगण की पुत्रीयों के द्वारा अपने विरास्तन हिस्सा का मौखिक व कुछ भूमि का जरिये दस्तबरदारी हक त्याग करने के बाद काफ़ी अरसा पूर्व ही वाहमी बंटवारा कर लिया था। तथा वाहमी बंटवारा के अनुसार ही उक्त विवादित भूमि पर काबिज होकर काशत कर रहे हैं। वाद पत्र स्वीकार कर घोषणात्मक डिक्री पारित करने कि विवादित भूमि का वाद पत्र की मद सं. 12 में अंकन अनुसार पक्षकारान खातेदार टिनेंट हैं। बाहमी बंटवारा वाद पत्र की मद सं. 12 में अंकित विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग अलग अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 14 स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर चाहें गये अनुतोष प्रदान कर निर्णित व डिक्री किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं हैं। जवाब स्टेट राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत किया जाकर वाद की मर्दों सिद्ध करने का भार वादीगण पर रखा हैं। वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र नौरा देवी का पेश हुआ। जिस पर ब्यान दर्ज कर दस्तावेज प्रदर्श किये गये। पक्षकारान द्वारा

उपस्थित अधिकारी
रायसिंहनगर

दिनांक 25.08.2020 को राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है जो बाद तरदीक शामिल करावली किया गया है। पक्षकारान की ओर से राजीनामा निम्न प्रकार का प्रस्तुत किया गया है।

पक्षकारान के मध्य हुवे धरेलू बंटवारा व उस अनुसार चले आ रहे कब्जा काश्त व हिस्सा पर उनके खातेदारी हक व अधिकारों को स्वीकारते हुए तदनुसार बंटवारा व खाता विभाजन अनुसार राजीनामा निम्नानुसार करवाया जाना तय पाया गया है कि

1. वादीया विमला देवी को बाहमी बंटवारा में प्राप्त रकबा चक 45 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 प.नं. 215/331 के कि.नं. 11/2 में 0.127 है., 12/2 में 0.126 है., 13/2 में 0.101 है., 13/4 में 0.025 है., 14/1 में 0.101 है., 14/3 में 0.025 है., 15/2 में 0.101 है., 15/4 में 0.026 है., 16/1 में 0.228 है., 16/2 में 0.025 है., 17ता20 प्रत्येक में 0.253 है. कुल 1.897 है. नहरी मय खाला भूमि व चक श्यामगढ़ बारानी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 101 प.नं. 237/348 के कि.नं. 6/2 में 0.165 है., 7 ता 9 प्रत्येक में 0.190 है., 10 में 0.038 है., 12 में 0.190 है., 13 व 14 प्रत्येक 0.253 है., 15/2 में 0.228 है., 16/2 में 0.088 है., 17 व 18 प्रत्येक में 0.114 है., 19 में 0.032 है. कुल 2.045 है. बारानी भूमि पर खातेदारी हक व अधिकार होकर तदनुसार बंटवारा व खाता विभाजन करवाने की अधिकारी होना तय पाया गया।

2. वादीया नौरा देवी को बाहमी बंटवारा में प्राप्त रकबा चक 60 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 प.नं. 226/350 के कि.नं. 16/2 में 0.127 है., 17 ता 19 प्रत्येक में 0.253 है., 20 में 0.228 है., 25/2 में 0.063 है. कुल 1.177 है. बारानी व इसी चक के मु.नं. 26 प.नं. 227/357 के कि.नं. 18 ता 22 प्रत्येक में 0.253 है., 23/1 में 0.126 है. कुल 1.391 है. नहरी व चक श्यामगढ़ बारानी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 101 प.नं. 237/348 के कि.नं. 16/2 में 0.140 है. 17 ता 18 प्रत्येक में 0.139 है., 19 में 0.031 है., 23 में 0.190 है., 24 में 0.253 है., 25/2 में 0.228 है. कुल 1.120 है. बारानी व इसी चक के मु.नं. 102 प.नं. 237/349 के कि.नं. 3 में 0.063 है., 4 में 0.253, 5/2 में 0.228 है., 6/2 में 0.228 है., 7 में 0.190 है., 14 में 0.063 है., 15/2 में 0.228 है., 16/2 में 0.164 है., 25/2 में 0.038 है. कुल 1.455 है. बारानी भूमि पर खातेदारी हक व अधिकार होकर तदनुसार बंटवारा व खाता विभाजन करवाने की अधिकारी होना तय पाया गया।

3. प्रतिवादी सं. 1 नेकीराम को बाहमी बंटवारा में प्राप्त रकबा चक 4 पीटीडीए तहसील श्री विजयनगर के मु.नं. 17 प.नं. 225/364 के कि.नं. 1 ता 3 प्रत्येक में 0.253 है., 8 ता 13 प्रत्येक में 0.253 है., 18 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है., 21/2 ता 23/2 प्रत्येक में 0.228 है., 4-7-14-17-24/2 प्रत्येक में 0.013 है. कुल 3.785 है. नहरी व चक 19 एसजेएम तहसील अनुपगढ़ का मु.नं. 20 प.नं. 293/379 के कि.नं. 1/1 में 0.165 है., 2/1 में 0.025 है., 8/1 में 0.101 है., 9/1 में 0.240 है., 10 ता 13 प्रत्येक में 0.253 है., 14/1 में 0.190 है., 15/1 में 0.051 है., 16 ता 25 प्रत्येक में 0.253 है. कुल 4.314 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 6 पीटीडीए तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 11 प.नं. 232/359 में 1.518 है. नहरी व मु.नं. 10 प.नं. 233/359 में 6.200 है. नहरी व मु.नं. 9 प.नं. 234/359 में 3.264 है. कुल 10.982 है. कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि संयुक्त खाता में प्रतिवादी गोपीराम के नाम से 343/5491 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी नेकीराम के हिस्सा व कब्जा काश्त में है पर खातेदारी हक व अधिकार होकर तदनुसार बंटवारा व खाता विभाजन करवाने की अधिकारी होना तय पाया गया।


4. प्रतिवादी सं. 2 गोपीराम उर्फ गोपाल को बाहमी बंटवारा में प्राप्त रकबा चक 4 पीटीडी ए तहसील श्रीविजयनगर का मु.नं. 17 प.नं. 225/364 के कि.नं. 4 में 0.240 है., 5 ता 6 प्रत्येक 0.253 है., 7 में 0.240 है., 14 में 0.240 है., 15 ता 16 प्रत्येक में 0.253 है., 17 में 0.240 है., 24/2 में 0.215 है., 25/2 में 0.228 है. कुल 2.415 है. नहरी व चक श्यामगढ़ बारानी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 101 प.नं. 237/348 के कि.नं. 1 में 0.190 है., 2 में 0.253 है., 3 में 0.253 है., 4 में 0.253 है., 5/2 में 0.228 है., 6/2 ता 9 प्रत्येक में 0.063 है., 10 में 0.025 है. कुल 1.454 है. व चक 21 एस.जे.एम. तहसील अनुपगढ़ का मु.नं. 4 प.नं. 307/376 कि.नं. 1/2

- में 0.228 है., 2,3,4,5,6,7,8,9 प्रत्येक में 0.253 है., 10/2 में 0.228 है., कुल 2480 है. नहरी भूमि व चक 60 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 12 प.नं. 222/351 के कि.नं. 11,12 प्रत्येक में 0.253 है., 13/2 में 0.063 है., 19 ता 22 प्रत्येक में 0.253 है. कुल 1.581 है. नहरी पर खातेदारी हक व अधिकार होकर तदनुसार बंटवारा व खाता विभाजन करवाने का अधिकारी होना तय पाया गया।
5. प्रतिवादी सं. 7 अमर सिंह को बाहमी बंटवारा में प्राप्त रकबा चक 60 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 19 प.नं. 226/355 के कि.नं. 1 में 0.253 है., 2/1 में 0.063 है., 6/1 में 0.228 है., 6/2 में 0.025 है., 7 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है., 15/1 में 0.126 है. कुल 2.719 है. नहरी पर खातेदारी हक व अधिकार होकर तदनुसार बंटवारा व खाता विभाजन करवाने का अधिकारी होना तय पाया गया।
6. प्रतिवादी सं. 10 राजेन्द्र कुमार को बाहमी बंटवारा में प्राप्त रकबा चक 45 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 प.नं. 215/331 के कि.नं. 21 ता 24 प्रत्येक प्रत्येक में 0.253 है., 25/1 में 0.228 है., 25/2 में 0.025 है. खाला, व मु.नं. 6 प.नं. 216/331 के कि.नं. 15/3 में 0.051 है., 16 में 0.253, 25 में 0.253 है. कुल 1.822 है. नहरी पर खातेदारी हक व अधिकार होकर तदनुसार बंटवारा व खाता विभाजन करवाने का अधिकारी होना तय पाया गया।
7. प्रतिवादी सं. 11 जयपाल को बाहमी बंटवारा में प्राप्त रकबा चक 3 पीटीडी तहसील श्रीविजयनगर के मु.नं. 21 प.नं. 234/369 में 6.199 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 17 प.नं. 235/368 में 5.883 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 20 प.नं. 235/369 में 6.072 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 18 प.नं. 236/368 में 6.010 है. नहरी व मु.नं. 19 प.नं. 236/369 में 6.199 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 29 प.नं. 235/370 में 1.493 है. नहरी संयुक्त खाता की भूमि जिसमें वादीगण के पति ओमप्रकाश व दयाराम की बहिस्सा बराबर बराबर 3.846 है. भूमि में से 1.923 है. नहरी भूमि पर खातेदारी हक व अधिकार होकर तदनुसार बंटवारा व खाता विभाजन करवाने का अधिकारी होना तय पाया गया।
8. प्रतिवादी सं. 13 महेन्द्र कुमार को बाहमी बंटवारा में प्राप्त रकबा चक 3 पीटीडी तहसील श्रीविजयनगर के मु.नं. 21 प.नं. 234/369 में 6.199 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 17 प.नं. 235/368 में 5.883 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 20 प.नं. 235/369 में 6.072 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 18 प.नं. 236/368 में 6.010 है. नहरी व मु.नं. 19 प.नं. 236/369 में 6.199 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 29 प.नं. 235/370 में 1.493 है. नहरी संयुक्त खाता की भूमि जिसमें वादीगण के पति ओमप्रकाश व दयाराम की बहिस्सा बराबर बराबर 3.846 है. भूमि में से 1.923 है. नहरी भूमि पर खातेदारी हक व अधिकार होकर तदनुसार बंटवारा व खाता विभाजन करवाने का अधिकारी होना तय पाया गया।

राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद निर्णित व डिक्री फरमाया जावे।”

प्रतिवादीगण का वादपत्र में सहमति का जवाबदावा एवं राजीनामा होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गयी। वादीगण की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र नौरा देवी का पेश हुआ। शपथ पत्र पर ब्यान दर्ज किये गये एवं पत्रावली में वादीगण द्वारा क्रमशः निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्श करवाए हैं -

1. जमाबंदी चक 60 एनपी संवत 2073-2076 खाता सं. 10/8
2. जमाबंदी चक 60 एनपी संवत 2073-2076 खाता सं. 25/21
3. जमाबंदी चक 45 एनपी संवत 2075-2078 खाता सं. 8/30
4. जमाबंदी चक श्यामगढ़ बरानी संवत 2073-2076 खाता सं. 9/52
5. जमाबंदी चक 6 पीटीडी संवत 2074-2077 खाता सं. 45/34
6. जमाबंदी चक 21 एसजेएम संवत 2075-2078 खाता सं. 3/4
7. जमाबंदी चक 19 एसजेएम संवत 2073-2076 खाता सं. 35/15
8. दस्तबरदारी दिनांक 25.09.2019 अमर सिंह आदि बहक विमला देवी
9. दस्तबरदारी दिनांक 25.09.2019 जयपाल आदि बहक नौरा देवी
10. दस्तबरदारी दिनांक 26.09.2019 अमर सिंह आदि बहक विमला देवी
11. दस्तबरदारी दिनांक 26.09.2019 राजेन्द्र कुमार बहक विमला देवी


उपस्थित अधिकारी
रायसिंहनगर

- 12 दस्तवरदारी दिनांक 26.09.2019 अमर सिंह बहक विमला देवी
 13 दस्तवरदारी दिनांक 26.09.2019 विद्या बहक विमला देवी
 14 दस्तवरदारी दिनांक 26.09.2019 माया बहक विमला देवी
 15 दस्तवरदारी दिनांक 26.09.2019 माया-विद्या बहक विमला देवी

बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील उभयपक्ष निवेदन किया कि प्रस्तुत भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 14 को विरास्तन प्राप्त एवं कुछ भूमि पक्षकारान की कथशुदा अलग अलग चक में स्थित संयुक्त/एकल खाता की भूमि हैं। पक्षकारान एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। भविष्य में वाद विवाद न हो इस कारण पक्षकारान के आपसी सहमति से धरलू बंटवारा कर रखा हैं, तथा कब्जा काश्त हैं। राजीनामा प्रकरण में प्रस्तुत किया जा चुका हैं। दस्तवरदारी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं जा चुके हैं। राजीनामा की रूह से वाद निर्णित एवं डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में पक्षकारान का आपसी सहमति हो चुकी हैं तथा अपनी संयुक्त परिवार की भूमि का आपसी सुखाधिकार के अनुसार बाहमी बंटवारा कर काविज होकर काश्त कर रहे हैं। राजीनामा तस्दीक हो चुका हैं। उभयपक्ष राजीनामा अनुसार ही प्रकरण का निस्तारण करना चाहते हैं। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य दस्तवरदारी एवं त्नाबंदीयां प्रदर्श करवाए हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में राजीनामा होने के कारण वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा तस्दीक दिनांक 25.08.2020 के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं :-

पक्षकारान को उनके मध्य हुए राजीनामा दिनांक 25.08.2020 के आधार पर निम्नांकितानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं -

1. वादीया विमला देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर :- चक 45 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 प.नं. 215/331 के कि.नं. 11/2 में 0.127है., 12/2 में 0.126है., 13/2 में 0.101है., 13/4 में 0.025है., 14/1 में 0.101है., 14/3 में 0.025है., 15/2 में 0.101है., 15/4 में 0.026है., 16/1 में 0.228है., 16/2 में 0.025है., 17ता20 प्रत्येक में 0.253है. कुल 1.897है. नहरी मय खाला भूमि व चक श्यामगढ़ बारानी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 101 प.नं. 237/348 के कि.नं. 6/2 में 0.165है., 7 ता 9 प्रत्येक में 0.190है., 10 में 0.038है., 12 में 0.190है., 13 व 14 प्रत्येक 0.253है., 15/2 में 0.228है., 16/2 में 0.088है., 17 व 18 प्रत्येक में 0.114है. 19 में 0.032है. कुल 2.045है. बारानी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं।
2. वादीया नौरा देवी पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर :- चक 60 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 प.नं. 226/350 के कि.नं. 16/2 में 0.127है., 17 ता 19 प्रत्येक में 0.253है., 20 में 0.228है., 25/2 में 0.063है. कुल 1.177 है. बारानी व इसी चक के मु.नं. 26 प.नं. 227/357 के कि.नं. 18 ता 22 प्रत्येक में 0.253 है., 23/1 में 0.126 है. कुल 1.391 है. नहरी व चक श्यामगढ़ बारानी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 101 प.नं. 237/348 के कि.नं. 16/2 में 0.140है. 17 ता 18 प्रत्येक में 0.139 है., 19 में 0.031 है., 23 में 0.190है., 24 में 0.253 है., 25/2 में 0.228 है. कुल 1.120 है. बारानी व इसी चक के मु.नं. 102 प.नं. 237/349 के कि.नं. 3 में 0.063 है., 4 में 0.253, 5/2 में 0.228 है., 6/2 में 0.228 है., 7 में 0.190 है., 14 में 0.063 है., 15/2 में 0.228 है., 16/2 में 0.164है., 25/2 में 0.038 है. कुल 1.455 है. बारानी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं।
3. प्रतिवादी सं. 1 नेकीराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर :- चक 4 पीटीडीए तहसील श्री विजयनगर के मु.नं. 17 प.नं. 225/364 के कि.नं. 1 ता 3 प्रत्येक में 0.253 है., 8 ता 13 प्रत्येक में 0.253 है., 18 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है., 21/2 ता 23/2 प्रत्येक में 0.228 है., 4-7-14-17-24/2 प्रत्येक में 0.013 है. कुल 3.785 है. नहरी व चक 19 एसजेएम

तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 20 प.नं. 293/379 के कि.नं. 1/1 में 0.165 है., 2/1 में 0.025 है., 8/1 में 0.101 है., 9/1 में 0.240 है., 10 ता 13 प्रत्येक में 0.253 है., 14/1 में 0.190 है., 15/1 में 0.051 है., 16 ता 25 प्रत्येक में 0.253 है. कुल 4.314 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का खातेदार एवं चक 6 पीटीडीए तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 11 प.नं. 232/359 में 1.518 है. नहरी व मु.नं. 10 प.नं. 233/359 में 6.200 है. नहरी व मु.नं. 9 प.नं. 234/359 में 3.264 है. कुल 10.982 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि संयुक्त खाता में प्रतिवादी गोपीराम के नाम से दर्ज 343/5491 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। गोपीराम का नाम विलोपित किया जावे एवं उसके स्थान पर नेकीराम का नाम दर्ज किया जावे। शेष अंकन बदस्तुर रहेगा।

4. प्रतिवादी सं. 2 गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर :- चक 4 पीटीडी ए तहसील श्रीविजयनगर का मु.नं. 17 प.नं. 225/364 के कि.नं. 4 में 0.240 है., 5 ता 6 प्रत्येक 0.253 है., 7 में 0.240 है., 14 में 0.240 है., 15 ता 16 प्रत्येक में 0.253 है., 17 में 0.240 है., 24/2 में 0.215 है., 25/2 में 0.228 है. कुल 2.415 है. नहरी व चक श्यामगढ़ बाराणी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 101 प.नं. 237/348 के कि.नं. 1 में 0.190 है., 2 में 0.253 है., 3 में 0.253 है., 4 में 0.253 है., 5/2 में 0.228 है., 6/2 ता 9 प्रत्येक में 0.063 है., 10 में 0.025 है. कुल 1.454 है. व चक 21 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 4 प.नं. 307/376 कि.नं. 1/2 में 0.228 है., 2,3,4,5,6,7,8,9 प्रत्येक में 0.253 है., 10/2 में 0.228 है., कुल 2.480 है. नहरी भूमि व चक 60 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 12 प.नं. 222/351 के कि.नं. 11,12 प्रत्येक में 0.253 है., 13/2 में 0.063 है., 19 ता 22 प्रत्येक में 0.253 है. कुल 1.581 है. नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी सं. 7 अमर सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर :- चक 60 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 19 प.नं. 226/355 के कि.नं. 1 में 0.253 है., 2/1 में 0.063 है., 6/1 में 0.228 है., 6/2 में 0.025 है., 7 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है., 15/1 में 0.126 है. कुल 2.719 है. नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
6. प्रतिवादी सं. 10 राजेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर :- चक 45 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 प.नं. 215/331 के कि.नं. 21 ता 24 प्रत्येक प्रत्येक में 0.253 है., 25/1 में 0.228 है., 25/2 में 0.025 है. खाला, व मु.नं. 6 प.नं. 216/331 के कि.नं. 15/3 में 0.051 है., 16 में 0.253, 25 में 0.253 है. कुल 1.822 है. नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
7. प्रतिवादी सं. 11 जयपाल पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर :- चक 3 पीटीडी तहसील श्रीविजयनगर के मु.नं. 21 प.नं. 234/369 में 6.199 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 17 प.नं. 235/368 में 5.883 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 20 प.नं. 235/369 में 6.072 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 18 प.नं. 236/368 में 6.010 है. नहरी व मु.नं. 19 प.नं. 236/369 में 6.199 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 29 प.नं. 235/370 में 1.493 है. नहरी संयुक्त खाता की भूमि में पूर्व से ही दर्ज प्रतिवादी जयपाल का दर्ज हिस्सा 1923/31856 (1.923 है.) बदस्तुर खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता का अंकन बदस्तुर रहेगा।
8. प्रतिवादी सं. 13 महेन्द्र कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर :- चक 3 पीटीडी तहसील श्रीविजयनगर के मु.नं. 21 प.नं. 234/369 में 6.199 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 17 प.नं. 235/368 में 5.883 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 20 प.नं. 235/369 में 6.072 है. नहरी मय खाला, मु.नं. 18 प.नं. 236/368 में 6.010 है. नहरी व मु.नं. 19 प.नं. 236/369 में 6.199 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 29 प.नं. 235/370 में 1.493 है. नहरी संयुक्त खाता की भूमि जिसमें ओमप्रकाश के वारिसान के नाम से दर्ज हिस्सा की भूमि अमर सिंह हिस्सा 24/1991, माया हिस्सा 35/2896, राजेन्द्र कुमार 35/2896, विद्या हिस्सा 35/2896, विमला देवी हिस्सा 24/1991 कुल 1.923 है. भूमि का प्रतिवादी महेन्द्र

कुमार पुत्र दयाराम को खातेदार घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश के वारिसान अमरसिंह, माया, विद्या, राजेन्द्र कुमार, विमला देवी का नाम हटोयेत किया जाकर प्रतिवादी सं. 13 महेन्द्र कुमार का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। शेष खाता का अंकन बदस्तुर रहेगा।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी आशय में पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय की पालना की जावे यदि किसी भी तरह का विवाद/न्यायिक स्थगन न हो। नस्त प्रकार के भार ऋण/वित्तीय देयताओं से मुक्त हो। भूमि की प्रकृति/किस्म (देचित, असेचित, गै.मु. इत्यादि) परिवर्तित नहीं की जाएगी।”

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04/10/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुभाष चन्द्र)

आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर